दैनिक भास्कर
बिलासपुर 19-05-2026

वेतन से कटौती पर एकाउंट में जमा नहीं हुए पैसे, हाई कोर्ट ने राज्य शासन से मांगा जवाब

पीएम श्री आत्मानंद स्कूल मस्तूरी का मामला, व्याख्याता ने खुद पैरवी कर रखा अपना पक्ष

पूछा- राशि कटौती हुई तो खाते में क्यों नहीं दिखी?

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के वेतन से सीजीपीएफ की राशि की कटौती तो रिकॉर्ड पर हुई है, लेकिन वह उनके खाते में नहीं दिख रही है। इस पर हाई कोर्ट राज्य शासन को 4 सप्ताह में पूरी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

बिलासपुर| पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय मस्तूरी में व्याख्याता के वेतन से सीजीपीएफ (की राशि काटकर उसे खाते में जमा न करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। कथित वित्तीय गड़बड़ी और अधिकारियों की उदासीनता से तंग आकर व्याख्याता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

मस्तूरी के सेजेस में व्याख्याता संजय पाण्डेय ने याचिका में बताया कि उनके वेतन से हर महीने सीजीपीएफ की राशि नियमित रूप से काटी जा रही है, लेकिन यह राशि उनके सीजीपीएफ खाते में जमा ही नहीं हो रही है। इस गबन की आशंका को लेकर जब उन्होंने संस्था के प्राचार्य (टी संवर्ग) जयप्रकाश ओझा को कई बार अभ्यावेदन दिया, तो उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। कोषालय में चालान के माध्यम से जमा राशि की कॉपी मांगने पर प्राचार्य ने मना कर दिया। व्याख्याता को आरटीआई में भी जानकारी नहीं दी गई। मामले की शिकायत अपीलीय अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे से भी की गई थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद व्याख्याता ने कलेक्टर, संयुक्त संचालक (शिक्षा) रामायण प्रसाद आदित्य और संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को भी अभ्यावेदन सौंपा है। याचिका में बताया कि विभाग के सक्षम अधिकारियों ने राशि दिलाने या दोषियों पर कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।